

## जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की कार्य प्रगति के संदर्भ में दिनांक 06.09.2024 को आहुत बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (हर घर नल से जल) के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम समूह पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं अभियंता गण उपस्थित रहे:-

1. श्री अशोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त, एन.आर.एल.एम., महोबा।
2. श्री चन्द्र किशोर वर्मा, डी.पी.आर.ओ., महोबा।
3. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
4. श्री मनोज राजपूत, सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
5. श्री अशफाक, डीटीएल, टी.पी.आई., महोबा।
6. श्री मल्लिकार्जुन रेडडी, प्रोजेक्ट मैनेजर, एल.एण्ड.टी. महोबा।
7. श्री भागवत साहू, साइट इंजीनियर, एल.एण्ड.टी. महोबा।
8. श्री मिथलेश पाण्डेय, ओ.एण्ड.एम. इंचार्ज, एल.एण्ड.टी. महोबा।
9. श्री सुनील कुमार पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, एस.सी.एल.-एस.एम.सी. महोबा।
10. श्री रघुवंश शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0 गुप्ता-के0बी0 गुप्ता जेवी, महोबा।
11. श्री चन्द्र मणी, सहायक मैनेजर, जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल. जेवी महोबा।
12. श्री अली मिराज, प्रोजेक्ट मैनेजर, जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल. जेवी महोबा।



### शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना

बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना से 63 ग्राम आच्छादित है जिनमें नियमित पेयजलापूर्ति कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परियोजना के अन्तर्गत 18 ओ.एच.टी. के सापेक्ष 18 ओ.एच.टी. पूर्ण एवं क्रियाशील हैं तथा 06 सी.डब्लू.आर. के सापेक्ष 06 सी.डब्लू.आर. क्रियाशील हैं। जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार समस्त ग्राम हर घर जल प्रमाणित है

तथा 2491 एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी., समस्त ग्रामों में कमीशनिंग तथा समस्त ग्रामों नियमित पेयजलापूर्ति की जा रही है। लेखपाल/ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्रामों में कराये गये सर्वे अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत 2895 कनेक्शन, 146 सड़कों (771 मी. अतिरिक्त) की मरम्मत अवशेष है एवं 46 ग्रामों में लीकेज की समस्या तथा 43 ग्रामों में समयसारणी के अनुसार पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। तत्कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस को निर्देशित किया गया कि उक्त कमियों का निराकरण कराते हुए विलम्बतम 01 सप्ताह में कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के पश्चात भी उक्त कमियों का निराकरण न कराये जाने की दशा में अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस का समन्वित उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी।

#### लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना से 78 ग्राम आच्छादित है जिनमें नियमित पेयजलापूर्ति कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परियोजना के अन्तर्गत 32 ओ.एच.टी. के सापेक्ष 31 ओ.एच.टी. पूर्ण एवं कियाशील हैं 01 ओ.एच.टी. (देवगनपुरा) कियाशील किया जाना शेष है तथा 10 सी.डब्लू.आर. के सापेक्ष 10 सी.डब्लू.आर. कियाशील हैं। जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार 68 ग्राम हर घर जल प्रमाणित है शेष 10 ग्राम हर घर जल प्रमाणित किया जाना शेष है तथा 20749 एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी., समस्त ग्रामों में कमीशनिंग हो गयी है तथा 75 ग्रामों नियमित पेयजलापूर्ति की जा रही है 03 ग्राम नियमित पेयजलापूर्ति हेतु शेष हैं। लेखपाल/ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्रामों में कराये गये सर्वे अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत 3477 कनेक्शन, 129 सड़कों (552 मी. अतिरिक्त) की मरम्मत अवशेष है एवं 63 ग्रामों में लीकेज की समस्या तथा 66 ग्रामों में समयसारणी के अनुसार पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। तत्कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस को निर्देशित किया गया कि उक्त कमियों का निराकरण कराते हुए विलम्बतम 01 सप्ताह में कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के पश्चात भी उक्त कमियों का निराकरण न कराये जाने की दशा में अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस का समन्वित उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी।

#### सलैया-नाथूपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना से 77 ग्राम आच्छादित है जिनमें नियमित पेयजलापूर्ति कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परियोजना के अन्तर्गत 40 ओ.एच.टी. के सापेक्ष 38 ओ.एच.टी. पूर्ण एवं कियाशील हैं 02 ओ.एच.टी. (सलैया खालसा तथा सूपा) कियाशील किया जाना शेष है तथा 22 सी.डब्लू.आर. के सापेक्ष 22 सी.डब्लू.आर. कियाशील हैं। जल जीवन

मिशन पोर्टल के अनुसार 61 ग्राम हर घर जल प्रमाणित है शेष 16 ग्राम हर घर जल प्रमाणित किया जाना शेष है तथा 27742 एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष 100 प्रतिशत एफ.एच.टी.सी., समस्त ग्रामों में कमीशनिंग हो गयी है तथा 71 ग्रामों नियमित पेयजलापूर्ति की जा रही है 06 ग्राम नियमित पेयजलापूर्ति हेतु शेष हैं। लेखपाल/ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्रामों में कराये गये सर्वे अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत 6052 कनेक्शन, 166 सड़कों (10951 मी. अतिरिक्त) की मरम्मत अवशेष है एवं 45 ग्रामों में लीकेज की समस्या तथा 69 ग्रामों में समयसारणी के अनुसार पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। तत्कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस को निर्देशित किया गया कि उक्त कमियों का निराकरण कराते हुए विलम्बतम 01 सप्ताह में कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के पश्चात भी उक्त कमियों का निराकरण न कराये जाने की दशा में अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस का समन्वित उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी।

#### कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना

बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना से 38 ग्राम आच्छादित है जिनमें नियमित पेयजलापूर्ति कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परियोजना के अन्तर्गत 13 ओ.एच.टी. के सापेक्ष 13 ओ.एच.टी. पूर्ण एवं कियाशील हैं तथा 09 सी.डब्लू.आर. के सापेक्ष 08 सी.डब्लू.आर. पूर्ण एवं कियाशील हैं 01 सी.डब्लू.आर. (गौहारी खेड़ा) कियाशील किया जाना शेष है। जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार 28 ग्राम हर घर जल प्रमाणित है शेष 10 ग्राम हर घर जल प्रमाणित किया जाना शेष है तथा 12155 एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष 11933 एफ.एच.टी.सी. लगाये गये हैं 222 एफ.एच.टी.सी. लगाये जाने शेष हैं, समस्त ग्रामों में कमीशनिंग हो गयी है तथा 31 ग्रामों नियमित पेयजलापूर्ति की जा रही है 07 ग्राम नियमित पेयजलापूर्ति हेतु शेष हैं। लेखपाल/ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्रामों में कराये गये सर्वे अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत 1657 कनेक्शन, 70 सड़कों (100 मी. अतिरिक्त) की मरम्मत अवशेष है एवं 27 ग्रामों में लीकेज की समस्या तथा 28 ग्रामों में समयसारणी के अनुसार पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। तत्कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस को निर्देशित किया गया कि उक्त कमियों का निराकरण कराते हुए विलम्बतम 01 सप्ताह में कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के पश्चात भी उक्त कमियों का निराकरण न कराये जाने की दशा में अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस का समन्वित उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी।

#### धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना

बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना से 95 ग्राम आच्छादित है जिनमें नियमित पेयजलापूर्ति कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परियोजना के अन्तर्गत 29 ओ.एच.टी. के सापेक्ष 27 ओ.एच.

टी. पूर्ण एवं कियाशील हैं 02 ओ.एच.टी. (ननवारा तथा धवरी) कियाशील किया जाना शेष है तथा 09 सी.डब्लू.आर. के सापेक्ष 09 सी.डब्लू.आर. पूर्ण एवं कियाशील हैं। जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार 71 ग्राम हर घर जल प्रमाणित है शेष 24 ग्राम हर घर जल प्रमाणित किया जाना शेष है तथा 29877 एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष 29877 एफ.एच.टी.सी. लगाये गये हैं, समस्त ग्रामों में कमीशनिंग हो गयी है तथा 75 ग्रामों नियमित पेयजलापूर्ति की जा रही है 20 ग्राम नियमित पेयजलापूर्ति हेतु शेष हैं। लेखपाल/ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्रामों में कराये गये सर्वे अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत 10656 कनेक्शन, 574 सड़कों (1500 मी. अतिरिक्त) की मरम्मत अवशेष है एवं 67 ग्रामों में लीकेज की समस्या तथा 89 ग्रामों में समयसारणी के अनुसार पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस को निर्देशित किया कि उक्त कमियों का निराकरण कराते हुए विलम्बतम 01 सप्ताह में कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के पश्चात भी उक्त कमियों का निराकरण न कराये जाने की दशा में अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस का समन्वित उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि समस्त ओवर हेड टैंक का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ टेस्ट प्रतिष्ठित संस्थान से नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) तथा समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि हर जल प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु समस्त ग्रामवासियों की खुली बैठक कराकर उनकी सहमति के उपरांत ही ग्रामों को हर घर जल प्रमाणित किया जाए।
3. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जो ग्रामवासी अपने घरों में टैप कनेक्शन हेतु सहमत नहीं हैं, उनका लिखित बयान एवं मौके के फोटोग्राफ लेना सुनिश्चित करें।
4. अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण एवं डीटीएल टीपीआई सेन्सिस को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में पेयजलापूर्ति की जा रही है उनका सत्यापन कराना सुनिश्चित करें कि उक्त ग्राम में पेयजलापूर्ति कितने समयान्तराल पर हो रही है।
5. डीटीएल टीपीआई सेन्सिस, महोबा को निर्देशित किया गया कि पानी की शुद्धता जांच हेतु ग्रामों में आपूर्ति जल का गुणवत्ता परीक्षण एफ.टी.के. द्वारा ग्रामवासियों के समक्ष कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में उक्त समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी  
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति  
महोबा।

## कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक:- 737/एस.टी.-जे.जे.एम./2024

दिनांक 20.09.2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशाषी निदेशक, महोदय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा।
4. डी.टी.एल. टी.पी.आई. सेन्सिस महोबा।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर (एल.एण्ड.टी.) शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल. जेवी) सलईया-नाथूपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल. जेवी) लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, (में0 एन0के0 गुप्ता-के0बी0 गुप्ता जेवी) कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, (एस.सी.एल.-एस.एम.सी. जेवी) धवर्वा-सिजवाह ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।

अपर जिलाधिकारी  
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति  
महोबा।